

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०:-भवन-03/स्था०-विविध-34/2023...../पटना, दिनांक-.....

अधिसूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा अधिसूचित "अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023" के प्राधानोन्तर्गत गठित विभागीय स्त्रीनिंग समिति की दिनांक-12.01.2026 को आयोजित बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग के निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनीय अभियंताओं (असैनिक) को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित उच्चतर पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र०सं०	कर्मि का नाम	गृह जिला	वरीयता क्रमांक	अभ्युक्ति
1.	श्री अशोक कुमार	बलिया(उ.प्र.)	55	
2.	श्री प्रमोद कुमार सत्यार्थी	पटना	91	
3.	श्री अनिल कुमार सिंह	सारण	98	
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार	सुपौल	117	
5.	श्री कपिल कुमार भगत	गोड्डा	118	
6.	श्री राजु कुमार	पटना	119	AMIE अथवा समकक्ष डिग्रीधारी
7.	इबरार आलम	सुपौल	120	
8.	श्री जितेन्द्र पंडित	पूर्वी चम्पारण	121	
9.	श्री अनिल कुमार	रोहतास	122	
10.	श्री नबनीत कुमार	नालन्दा	123	

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधधीन है।

3. उपर्युक्त कर्मियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक अभियंता (असैनिक), वेतन स्तर-09 में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त कर्मियों को पदभार ग्रहण की तिथि से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-भवन-03/स्था०-विविध-34/2023...../पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

क०पृ०उ०

ज्ञापांक-भवन-03/स्था०-विविध-34/2023.....933(अ)/पटना, दिनांक- 28/1/26

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/संबंधित पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।